

Officer:

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or hand you any documents based on my 5th Amendment rights under the United States Constitution.

I do not give you permission to enter my home based on my 4th Amendment rights under the United States Constitution unless you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate with my name on it that you slide under the door. I do not give you permission to search any of my belongings based on my 4th Amendment rights.

I choose to exercise my constitutional rights.

These cards are available to citizens and noncitizens.

छापे कि सूचना दे.

खुद का बचाव करे:- आप स्थानिक सामुदायिक संस्थाओ के संपर्क मे रहे और आपके निर्वासन के खिलाफ कानुनि रास्ते कि चर्चा करे और कानुनि मदत ले.

युनायटेड वी ड्रिम:- के डायरेक्ट टेलिफोन लाईन –
१-८४४-३६३-१४२३ को फोन लगाये और जो हुआ वह बताये.

हमारा वेबसाईट – www.njimmigrantjustice.org मे लॉग इन कर
के छापे कि जानकारी दे और अप्रवासियो के हक्को कि संस्था कि जानकारी ले.



इमीग्रेशनके सामने के दौरान क्या करे ?

अगर ICE आपके घर आते है तो

आप दरवाजा ना खोले - ICE आप के घर मे खोज वॉरंट के बगैर दाखील नहि हो सकते.

दरवाजे के निचे से वॉरंट देखने मांगे :- अगर आपका AGENT उनके पास वॉरंट होनी कि बात बताते है, तो दरवाजा खोले बिना उन्हे दरवाजे के निचे से वो वॉरंट आपके पास आगे बढाने के लिये कहे.

वॉरंट कि समीक्षा :- व रूट क ऊपर का नाम और पता आपका हःया आपसं पहलं रहनं वालं का हःयह जाच लं।ICE वॉरंट ये अदालति वॉरंट जैसा नहि होता है, छापे के दौरान कई बार AGENT न्यायालयीन वॉरंट होने कि बात करते है जब कि उनके पास ICE वॉरंट होता है.

जो हुआ उसका दस्तावेज बनाये :- ICE AGENT के नाम और उनके बेंच नंबर पुछे, उन्हे लिखे और छापे के दौरान हो रहि गतीविधीयोकी तस्वीर ले.

अगर ICE AGENT आपको बिच रास्ते या सार्वजनिक

स्थल पे मिलते है तो क्या करे :

क्या मै जाने के लिये स्वतंत्र हू ? ये पुछ के आप शांत खडे रहे, ICE बिना वजह आपको पूछताछ के लिय हिरासत मे नहि ले सकते, ICE को आपका नाम या ओर कोई जानकारी देने से पहले उसे पुछे के आप जानीकी लिए शक्ये हिई अगर वो लोग आपको हा कहते है तू तर्त आप वह जगह छू डेइ अगर वो आपको नहि कहते है, तो उन्हे कहे के आप उनकी कू ई भाँ सिवाल का जवाब नहि देना चाहते है ओर आपको वकील से बात करनि है.

खोज को अधिकृत ना करे :- अगर ICE आपको या आपकी संपत्ती को जाचने का प्रयास करते है तो, यीजाच की लिए मीर अनमिति नहि है ऐसा कहे.

भागे नहि :- आप अगर भागत ह:तु यं ICE को कानुनि तोर पे आपको रोकने कि वजह देता है.

याद रखिये

पूर्व तयारी :- आप खोंक ओर आपके परिवार क यदे आपकी हिरासत ह ते ह:त उसक लिय तयार रखं+आपके परिवारजन ओर वकिल क फ न नंबर याद रखे, यदि आपके वच्चे है या आपको कोई दवाई लेनी पडती है तो आपतकालीन समय के लीये योजना बना ले, जररी दस्तावेजोकी प्रतिया आपके भरोसेमंद व्यक्तीके पास रखे.

शांत रहे :- ICE के कोईभी सवालो के जवाब ना दे, या उन्हे कोईभी जानकारी ना दे, आप जो बोलते हो उसे आपके खिलाप इस्तोमाल किया जा सकता है.

हिरासत का विरोध ना करे :- अगर ICE आपको गलत तरीके से हिरासत मे ले रहे है तोभी हिरासत का विरोध ना कारे,

झुट ना बोले या गलत दस्तावेज ना बताये :- अगर आप US के नागरिक है या आपकि न्यायसंगत स्थिति है तो उसका प्रमाण दे, अगर आपकी पास परदेस मी बसने के दस्तावेज नहि है, त ICE को कहे कि आपकू खामू रा रहना हीर आपकी शक्यदीशकी कू ई भाँ दक्लावीज बताना टालीर

कहेकी आपको वकीलसे बात करनी है :- खोंक ना कहं•वके लस बिना पोंछ क ईभे निगर्न न लं

हस्ताक्षर ना करे, ICE AGENT अगर आपको कोई दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने को कहते है तो आपके वकिलकि सलाह लिए बगैर आप कोई भी हस्ताक्षर ना करे.

अगर ICE आपतक पहुचे तो

AGENT के कोई भी प्रश्नो के उत्तर ना दे, व आपसं बात करना चाहतं ह:फिरभे आपको खामोश रहने का अधिकार है. आपको वकील से बात करने का अधिकार है.

दरवाजा ना खोले - अप्रवासत अधिकारी अगर आपके दरवाजे पे है और **AGENT** कहता है कि उसके पास वॉरंट है तो आप उसे वह वॉरंट दरवाजे के निचे से सोपने को कहे और उसपे न्यायाधीश के हस्ताक्षर है ये जाचले.

यह पलक **AGENT** को दे, दरवाजा ना खोले यह आपका संविधानिक अधिकार है.

